### <u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला -बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक—479 / 2014 संस्थित दिनांक—04.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — <u>अभियोज</u>न

### / / <u>विरुद</u>्ध / /

नफीस खान पिता अब्दुल जलील खान, उम्र—60 वर्ष साकिन—वार्ड नं. 11 बैहर, थाना बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — <u>आरोपी</u>

## // <u>निर्णय</u> //

#### <u>(आज दिनांक-14 / 5 / 2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा—4 ''क'' के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—20.03.2014 को 07:40 बजे स्थान वार्ड नं. 11 बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत अपने मकान के सामने अंको के रूप में सट्टा—पट्टी लिखा और उसे हार—जीत का दांव लगाते हुये पाया गया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र बैहर के उपनिरीक्षक नरेन्द्र पाल को दिनांक—20.03.2014 को मुखबिर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर—11 में आरोपी नफीस खान अपने घर के सामने अवैध सट्टा—पट्टी लेख कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वह बस स्टेण्ड से साक्षी मोहन पटले व रमेश को हमराह लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तो मौके पर आरोपी नफीस खान अपने घर के सामने सट्टा—पट्टी के अंक लिखकर रूपयों का दांव लगाते हुए पकड़ा गया। आरोपी के पास से एक सट्टा—पट्टी, एक डॉट पेन तथा कुल 290/— रूपये साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क.—52/2013, अंतर्गत धारा—4 "क" सार्वजनिक द्युत अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर

आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3— आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा—4 "क" के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

### 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

1— क्या आरोपी दिनांक—20.03.2014 को 07:40 बजे स्थान वार्ड नं. 11 बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत अपने मकान के सामने अंको के रूप में सट्टा—पट्टी लिखा और उसे हार—जीत का दांव लगाते हुये पाया गया ?

# विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र पाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—20.03.2014 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को भ्रमण के दौरान के मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी अपने घर के सामने वार्ड नं—11 में सट्टा खिलवा रहा है। उक्त सूचना पर बस स्टेण्ड बैहर से दो साक्षी मोहन पटले व रमेश को साथ लेकर मुखबिर से सूचना अवगत कराकर आरोपी के घर गया। आरोपी नफीस खान अपने घर के सामने सट्टा—पट्टी लेख कर रहा था। आरोपी से साक्षियों के समक्ष एक सट्टा—पट्टी, एक डॉट पेन तथा नगद राशि 290/—रूपये जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर रोजनामचा में दर्ज किया था, उक्त रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक—52, धारा—4 ए सार्वजनिक जुआ अधिनियम प्रदर्श पी—4 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान साक्षी रमेश एवं मोहन के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

6— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्त पर्ची में सट्टा—पट्टी शब्द का उल्लेख नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सट्टा—पट्टी पर किसी व्यक्ति का नाम लेख नहीं है तथा किन लोगों के द्वारा अंक लिखाए गए थे, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में ली गई चुनौती के संबंध में स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही एवं जप्ती कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही अकेले पूर्ण की है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता की सम्पूर्ण कार्यवाही की सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना आवश्यक है तथा कार्यवाही का संदेह से परे निष्पक्षतापूर्वक निष्पादित होना आवश्यक है।

साक्षी मोहनलाल पटेल (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन है कि 7— वह आरोपी नफीस खान को जानता है। घटना वर्ष 2014 की है। उसके समक्ष थाने में पुलिस वाले आरोपी को लेकर आए थे। उसने थाने में सट्टा-पट्टी और पेन रखा हुआ देखा था। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे या नहीं उसे आज ध्यान नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी से सट्टा पर्ची लिखते हुए जप्त किया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके सामने सट्टा-पट्टी जप्त हुई थी, पैसे जप्त नहीं हुए थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब वह थाने पर गया था, तो वहां आरोपी बैठा था और पाल साहब के द्वारा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार कर रखा गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पाल साहब के कहने पर प्रदर्श पी-1 पर हस्ताक्षर कर दिये थे और पाल साहब के कहने के आधार पर वह सट्टा-पट्टी पकड़ने वाली बात बता रहा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं था और इस कारण वह नहीं बता सकता कि आरोपी से कब और किसने जप्त किया था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी के द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही किये जाने का समर्थन नहीं किया है।

8— रमेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना पिछले साल की है। वह थाने में 'सी' फार्म जमा करने गया था, तब पुलिस ने उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे। वह ताज होटल में गाड़ी चलाता है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान नहीं लिये थे। साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी से सट्टा पर्ची लिखते हुए जप्त किया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके सामने सट्टा—पट्टी, डॉट पेन व नगद राशि की जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी—1 के अनुसार की गई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उससे पुलिसवालों ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 9— अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करने हेतु स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में रमेश (अ.सा.2) एवं मोहनलाल (अ.सा.3) की साक्ष्य करायी गई है। उक्त साक्षीगण ने उनके सामने पुलिस द्वारा आरोपी से सट्टा—पट्टी का खेल खिलाते हुए आरोपी को पकडे जाने तथा आरोपी के कब्जे से नगद राशि, सट्टा—पट्टी व अन्य सामग्री जप्त करने से इंकार किया है। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के कथनों में अभियोजन मामले को किसी भी प्रकार से समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर करता है। मामले को साबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहाँ उक्त एकमात्र साक्षी की विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।
- 11— अभियोजन को अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबिक बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है तथा जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के

समय के महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध की गई कथित कार्यवाही के समय रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज किया जाना प्रकट नहीं होता है जो कि मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दस्तावेज है। इस प्रकार घटना के समय का महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा सान्हा का अभाव होने व स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से समर्थन न करने से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का संदेह से परे निष्पक्षतापूर्वक निष्पादित होना प्रकट नहीं होता तथा की गई कार्यवाही पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है, जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक—20.03.2014 को 07:40 बजे स्थान वार्ड नं. 11 बैहर आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत अपने मकान के सामने अंको के रूप में सट्टा—पट्टी लिखा और उसे हार—जीत का दांव लगाते हुये पाया गया। अतः आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा—4"क" के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं 🏚

14— प्रकरण में जप्तशुदा कुल 290 / — रूपये अपील अवधि पश्चात् राजसात किया जावे तथा एक सट्टा—पट्टी, एक डॉट पेन मूल्यहीन होने अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट